(ग) इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित परिव्यय कितना है;

(घ) इस कार्यक्रम को धनराशि उपलब्ध कराने वाले स्रोत क्या है; और

(ङ) इस कार्यक्रम को लागू करने वाली एजेंसी का नाम क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्रमुख स्व-रोजगार योजना है जिसे 1980-81 से गुजरात सहित देश के सभी विकास खंडों में कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता छोटे और सीमांत किसान, कृषि और गैर-कृषि मजदूर और ग्रामीण कारीगर आदि लक्षित समूह को दी जाती है, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित युवा भी कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। हाल ही में योजनाबद्ध मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन कर गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले उन प्रशिक्षित शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवाओं, जिन्होंने आठवीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की है, को 7,500/-रुपये अथवा परियोजना लागत का 50% जो भी कम हो, की उच्च सबसिडी प्राप्त करने का पात्र बनाया गया है।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता ऐसी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए भारत सरकार द्वारा सबसिटी के रूप में और वित्तीय संस्थानों द्वारा सावधि ऋण के रूप में की जाती है, जिससे कि लाभार्थियों की आय सृजन की क्षमता में वृद्धि होगी। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय आंबटन 571 करोड़ रुपए है। नोवीं योजना के लिए आंबटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित "प्लान" योजना है जिसके अंतर्गत खर्च को केन्द्र और राज्यों द्वारा 50 : 50 लागत अंश के आधार पर वहन किया जाता है।

(ङ) जिला ग्रामीण विकास एंजेंसी/जिला परिषद् इस कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी है।

Scarcity of Employment in Rural Areas

2071. SHRI ONWARD L. NONGTDU: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the acute scarcity of employment in rural areas; and

(b) if so, what new measures are proposed to be taken to solve the unemployment problem in the rural areas on a permanent basis?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VARMA): (a) and (b) Yes, Sir. To sove unemployment problem in the rural areas, various self employment and wage employment schemes are being implemented all over the rural areas of the country. The major schemes for self-employment and wage employment are Integrated rural development programme (IRDP), Training for Rural Youth for self employment (TRYSEM), Jawahar Rozgar Yojana (JRY), Employment Assurance Scheme (EAS) etc. The main objectives of self-employment schemes are to provide self-employment on a sustained basis through acquisition of credit based productive assets and to provide technical & entre-preneurial skills to rural youth from families below poverty line to enable them to take up income generating activities. Wage-employment schemes aim at generation of additional gainful employment for unemployed and under-employed men and women in rural areas and to provide gainful employment during the lean agricultural season in manual work to all able-bodies adult in rural areas who are in need desirous of work but cannot find it in need desirous of work but cannot find it.